

## पारस्परिक कानूनी सहायता संधि

### प्रलिमिस के लिये:

पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, MLATs के लिये भारत में नोडल एजेंसी और इसका कानूनी आधार, पोलैंड की अवस्थिति

### मेन्स के लिये:

अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से नपिटने में पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (MLATs) की उपयोगता, भारत-पोलैंड संबंधों का महत्व।

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रमिंडल ने भारत सरकार और पोलैंड के बीच 'आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि' को मंजूरी दी है।



### प्रमुख बाढ़ि

- परचिय

- पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ (MLATs):
  - आपराधिक मामलों में 'पारस्परिक कानूनी सहायता संधि' अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिये देशों के बीच की गई दवापिक्षीय संधियाँ हैं।
  - ये समझौते हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच आपराधिक और संबंधित मामलों में साक्ष्य एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान की अनुमति देते हैं।
- संधिका महत्व:
  - अपराध की जाँच और अभियोजन:** यह आपराधिक मामलों में सहयोग और पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से अपराध की जाँच तथा अभियोजन में दोनों देशों की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।
  - अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से इसका संबंध:** यह अपराध की जाँच और अभियोजन में पोलैंड के साथ दवापिक्षीय सहयोग के साथ-साथ अपराध साधनों तथा आतंकवाद को वित्तपोषित करने हेतु उपयोग धन का पता लगाने, रोकने एवं ज़बत करने के लिये एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करेगी।
  - बेहतर इनपुट प्राप्त करना:** यह संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के तौर-तरीकों में बेहतर जानकारी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त करने में सहायक होगा।
    - जिसिका उपयोग आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर नीतिगत नियमों के लिये किया जा सकता है।
- भारत में नोडल एजेंसी:
  - गृह मंत्रालय आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने के लिये नोडल मंत्रालय तथा केंद्रीय प्राधिकरण है।
  - वहीं जब मंत्रालयों द्वारा राजनयकि चैनलों के माध्यम से ऐसे अनुरोध भेजे जाते हैं, तो विदेश मंत्रालय को भी इस प्रकरण में शामिल किया जा सकता है।
- कानूनी आधार
  - आपराधिक प्रकरण संहति (CrPC)** की धारा 105 केंद्र सरकार द्वारा विदेशी सरकारों के साथ समन/वारंट/न्यायिक प्रक्रियाओं के संबंध में पारस्परिक व्यवस्था का प्रावधान करती है।
  - भारत ने 42 देशों (नवंबर 2019) के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि/समझौते किये हैं।

## भारत-पोलैंड संबंध

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - भारत और पोलैंड के राजनयकि संबंध वर्ष 1954 में स्थापित हुए, जिसिके पश्चात् वर्ष 1957 में दोनों देशों में भारतीय दूतावास खोला गया।
  - उपनिवेशवाद, समराज्यवाद और नस्लवाद के विरोध के आधार पर दोनों देशों ने समान वैचारिक धारणाएँ साझा की।
  - पोलैंड के 'कम्युनिस्ट युग' (1944 से 1989) के दौरान दोनों देशों के दवापिक्षीय संबंध घनिष्ठ और सौहारदपूरण थे, इस दौरान नियमित उच्च सतरीय यात्राओं के साथ, राज्य के व्यापारिक संगठनों द्वारा नियोजित व्यापार और आरथकि वारताओं का आयोजन किया गया।
  - वर्ष 1989 में पोलैंड द्वारा लोकतांत्रिक मारग चुने जाने के बाद भी संबंध घनिष्ठ बने रहे।
  - वर्ष 2004 में पोलैंड के यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से दोनों देशों के बीच सौहारदपूरण संबंध बने हुए हैं और यह मध्य यूरोप में भारत के प्रमुख आरथकि भागीदारों में से एक बन गया है।
- आरथकि और वाणिज्यिक संबंध:
  - नियात:**
    - पोलैंड मध्य यूरोपीय क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और नियात गंतव्य है, पछिले दस वर्षों में दवापिक्षीय व्यापार लगभग सात गुना बढ़ रहा है।
    - भारतीय आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में दवापिक्षीय व्यापार का कुल मूल्य 2.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - नविश:**
    - पोलैंड में भारत का नविश 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
    - भारत में पोलैंड का कुल नविश लगभग 672 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  - प्रत्यक्ष विदेशी नविश (FDI):**
    - अप्रैल 2000 से मार्च 2019 तक भारत ने पोलैंड से 672 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का FDI प्राप्त किया है जो भारत के कुल FDI परवाह का 0.16% है।
- सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध:
  - पोलैंड में इंडोलॉजी के अध्ययन की एक मज़बूत परंपरा है, पोलिश विद्यालयों ने **19वीं शताब्दी** की शुरुआत में संस्कृत का पोलिश में अनुवाद किया था।
    - इंडोलॉजी भारत के इतिहास, संस्कृतयों, भाषाओं और साहित्य का अकादमिक अध्ययन है और इस तरह एशियाई अध्ययनों का एक भाग है।
  - वर्ष 2019 में **महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ** का आयोजन पोलिश मशिन द्वारा किया गया।
    - पोलिश पोस्ट ((Poczta Polska) द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकिट को जारी किया गया।
  - गुरु नानक देव जी** मिशन के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पोलैंड के गुरुद्वारा साहबि और पोलिश मशिन के द्वारा संयुक्त रूप से गुरुद्वारा साहबि, पोलैंड में समारोह का आयोजन किया गया।
  - 21 जून, 2019 को पहला **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** पोलैंड के 21 शहरों में आयोजित किया गया गया तथा लगभग 11000 लोगों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया गया था।
- भारतीय समुदाय:
  - पोलैंड में लगभग 10,000 भारतीय समुदाय के होने का अनुमान है जिसमें व्यापारी (वस्तर, वस्तर और इलेक्ट्रॉनिक्स) शामिल हैं। जो

बहुराष्ट्रीय या भारतीय कंपनियों और सॉफ्टवेयर/आईटी विशेषज्ञों के साथ साम्यवाद तथा पेशेवरों के पतन के बाद आए थे, जनिमें भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या भी शामिल थी।

## आगे की राह:

- वर्ष 2017 में बलूमबर्ग द्वारा पोलैंड को 50 सबसे नवीन देशों में से एक के रूप में प्रशंसित किया गया था औसह महत्वपूर्ण है कि भारत इसे मध्य यूरोप में प्रौद्योगिकी केंद्र तथा व्यापार करने के लिये अनुकूल स्थान के रूप में देखें।
- हरति प्रौद्योगिकियों, स्मार्ट स्टार्टी, साइबर सुरक्षा, फिनिटेक और जल प्रबंधन के मामले में पोलैंड एक मज़बूत देश है।
- पोलैंड ऑटोमोटिव क्षेत्र में भारतीय नविशकों और नरियातकों को भी बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। पछिले 5 वर्षों में पोलैंड की रणनीतिक स्थिति, स्वास्थ्य करमणों की कमी और फार्मा बाज़ार में 25% की वृद्धिकों देखते हुए भारतीय नरियातकों तथा नविशकों के लिये यह अच्छा अवसर हो सकता है।
- भारत और पोलैंड के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन हमारे बीच व्यापार को कोवडि-19 के कारण नुकसान हुआ है।
- पोलैंड में बढ़ते भारतीय प्रवासी जिसमें लगभग 6,000 छात्र शामिल हैं। यह एक नया कारक है जिसने दोनों देशों के बीच संबंधों को मज़बूत किया है।
  - पोलैंड तब से छात्रों के लिये और अधिक आकर्षक बन गया है जब से उसने प्रमुख विश्वविद्यालयों में चकितिसा तथा इंजीनियरिंग में शक्ति के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत गई है।
- कोवडि-19 से पहले दलिली से वारसा के लिये सीधी उड़ान होती थी। इससीधी उड़ान की बहाली से दोनों देशों के बीच व्यापारकि संबंध को मज़बूती प्रदान करेगी।

स्रोत: पी.आई.बी

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mutual-legal-assistance-treaty-india-poland>